



Telephone : 044 – 28889333, 28415702
E-Mail : investor@iobnet.co.in

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

Investor Relations Cell

IRC/167/2020-21

02.11.2020

The Vice President
National Stock Exchange Limited
"Exchange Plaza", C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Senior General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited
Floor 1, P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Notice of Extraordinary General Meeting – Disclosure under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR)

We refer our letter No. IRC/163/2020-21 dated 31.10.2020 regarding release of Notice of Extraordinary General Meeting.

In this regard, we have published information to the shareholders in three Newspapers viz.. Dinamani (Tamil), Business Standard (Hindi) and Business Standard (English) on 02.11.2020. We enclose newspaper publication of the Information to Shareholders.

Please take the above intimation in your records.

Thanking You

Yours faithfully,

S Nandakumaran
DGM & Company Secretary



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा साहे, चेन्नै - 600 002

शेयर धारकों को नोटिस

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयरों एवं बंडों) अधिनियम 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 57 के अनुपालन के तहत एनड्यार सूचित करता है कि निम्नलिखित व्यवसायों के नमूने हेतु इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन बीडिबी/ कनवेंशन(बीडीबी)/ अन्य धन्य-व्यय माध्यमों में 03 दिसंबर 2020 गुरुवार को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) किया जाएगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे आगे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे आगे "विनियमन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे आगे "योजना" के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बंडों) विनियमन 2003 (2008 तक संशोधित) (जिसे आगे "विनियमन" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 9(3)(i) के अनुसार निम्न संवन्धों को पारित वरु बैंक (केंद्र सरकार से इनपर) के अवरधारकों के बीच से एक निदेशक का चुनाव किया जाना है, जो कि अधिनियम की धारा 19 व भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/बीबीआर/2019-20/71, मार्वर निर्देश बीबीआईआर/एपीसीटी. सं. : 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित 02 अगस्त 2019 (जिसे आगे "आरबीआईआई अधिसूचना" के रूप में संदर्भित किया गया है), भारत सरकार के कार्यालय आपन संदर्भ संख्या एफ. सं. 16/83/2013-बीबीआईआर दिनांकित 03 सितंबर 2013, जो कि सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च 2015 व 20 नवंबर 2016 को जारी मार्चनिक शेष के बैंकों के वर- प्राधिकारिक निदेशक हेतु विचाराधीन मानदंडों और उनके तहत किए गए किर्ली मी संगोघनों (जिसे आगे "भारत सरकार के दिशानिर्देशों" के रूप में संदर्भित किया गया है), के अधीन होगा।

"एक संकल्प किया गया कि अधिनियम की धारा 9(3)(i) जो कि संशोधित योजना, विनियमनों, आरबीआईआई अधिसूचनाओं, भारत सरकार के दिशानिर्देशों, इत्यादि के साथ पठित है, के अनुकरण में केंद्रीय कार्यालय के इनर शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक के चुनाव किया जाना है और इस प्रकार ये चयनित बैंक के निदेशक 08 दिसंबर 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे और वे पदभार ग्रहण करने के समय से 03 वर्ष की अवधि तक पद बने रहेंगे।"

(निदेशक मंडल के आदेशों से)
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
(ए/)

स्थान : चेन्नै - 600 002

दिनांक : 27 अक्टूबर 2020

पार्ष प्रतिम सेनगुप्ता

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्रसंख्या 14/2020 दिनांकित 08 अगस्त 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अक्टूबर 2020 एवं परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05 मई 2020, 22/2020 दिनांकित 15 जून 2020, 33/2020 दिनांकित 28 सितंबर 2020 एवं सेबी द्वारा जारी परिपत्र सीबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएआई/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित 12 मई 2020 के माध्यम से कंपनियों को कलेक्टर वर्ष 2020 के दौरान शेयरधारकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओपीएम के माध्यम से ईजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है। सेबी (सूचीबद्ध बाधताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो विड्युअल जरूरी (ओपीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है। अतः शेयरधारक ईजीएम में केवल वीसी/ओपीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं। बैठक में प्रतिभागिता की विस्तृत प्रक्रिया असाधारण सामान्य बैठक से संबंधित नोटिस में वर्णित की जाएगी। बैठक का स्थान बैंक का 763, अण्णा साहे, चेन्नै - 600002 स्थित केन्द्रीय कार्यालय होगा।
- ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/ सीएसडीएल द्वारा अंकन तिथि बुधवार दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को उपलब्ध कारवाई गई पंजीकृत शेयरधारकों/ हितधारकों की पंजी में दर्ज हैं, सहभागिता जोकि बैंक शेयरधारक निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन, प्रतिभाग, मतदान करने के पात्र होंगे। निदेशक के चुनाव संबंधी कार्यसूची हेतु ऑटिंग दुरुस्त ई-वोटिंग तथा बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से समर्थन प्रकट कराया जाएगा। प्रत्येक शेयरधारक के पास कार्यालयी के विनिर्दिष्ट मती पर मतदान हेतु अंकन तिथि को धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा। हालांकि केंद्र सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल माताधिकार के 10% से अधिक के माताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा।
- उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते बुधवार दिनांक 28 अक्टूबर 2020 तक बैंक/ डिपोजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस की प्रति बैंक की वेबसाइट www.job.in और स्टॉक एक्सचेंजों यानि कमरा: बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com व www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
- अमूर्त रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों, जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता अपने डिपोजिटरी भागीदारों के माध्यम से संबंधित डिपोजिटरी के पास रजिस्टर करें।
- अमूर्त रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल <https://investors.cameindia.com> लिंक बैंक के पंजीकृत शेयर अंतरण एजेंट, सीमितो कार्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, संख्या 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002 पर दस्तक करके प्रस्तुत करें। वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक अपनी ईमेल एवं मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ agm@cameindia.com को ईमेल भी भेज सकते हैं।
- नामांकन पत्र, घोषणा पत्र एवं निजी सूचना, घोषणा पत्र व वचनपत्र सहित नोटिस की प्रति बैंक की वेबसाइट, जोकि www.job.in है, पर भी उपलब्ध है।
- चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयर धारकों को घोषणापत्र के साथ-साथ अन्य प्रारूप एवं बाकोहाटा व अन्य संबंधित दस्तावेज धारित रखना 100 सेना नामांकन प्रारूप सुरक्षित लिंको के ईजीएम की निर्धारित तिथि तक घोषणा दिनांक 18 नवंबर 2020 को शाम 05.00 है, से कम से कम 14 दिन पूर्व तक किसी भी कार्यदिवस पर महा प्रबन्धक एवं सीएफडी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, निदेशक संबंध कक्ष, तुलनपत्र प्रबंधन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा साहे, चेन्नै 600 002 को प्रस्तुत करने चाहिए।
- चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति के लिए यदि केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है तो इस संबंध में विस शेयर धारक जिसके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, को चयनित माना लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में असाधारण सामान्य बैठक का संचालन/ आयोजन नहीं किया जाएगा।
- सेबी के विनियमन 44 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के संदर्भ में, आपके बैंक ने असाधारण सामान्य बैठक में ईजीएम पर के लिए शेयरधारकों हेतु एजेंडा निष्पादन करने के उद्देश्य से दुरुस्त ई-वोटिंग और ई-वोटिंग को सुविधा हेतु केंद्रीय डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है। भौतिक रूप या अमूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अंतिम तिथि जोकि बुधवार, 28 अक्टूबर, 2020 है, तक अपनी वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।
- डिमेंट मोड, भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों एवं जिन लोगों ने अपना ई-मेल पंजीकृत नहीं किया है के द्वारा वोट डालने की प्रक्रिया ईजीएम के नोटिस उपलब्ध है।
- शेयर धारकों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग वेब साइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करें। किसी भी प्रश्न के लिए सीडीएसएल को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल भेजें या 022-23058738/022-23058542/43 पर संपर्क करें।
- दुरुस्त ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, दिनांक 30 नवंबर, 2020 को सुबह 9 बजे (आईएसटी) से शुरू हो कर बुधवार, दिनांक 02 दिसंबर, 2020 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी एवं तत्पश्चात दुरुस्त ई-वोटिंग के विकल्प को सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारक अंतिम तिथि तक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। दुरुस्त ई-मतदान के माध्यम से मतदान न करने वाले एवं ऐसे शेयरधारकों जिनमें ऐसा करने से संतुष्ट नहीं किया गया है, बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- कृपया ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक बार वोट डाले जाने के पश्चात उसे संशोधित या एजीएम बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं किया जा सकता है। हालांकि, शेयरधारक वीसी / ओपीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं।
- ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर धारक है एवं वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ तिथि पर शेयरों को धारण करता है, agm@cameindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- बैठक में भाग लेने और वोट देने का हकदार सदस्य वीसी या ओपीएम पर आरंभित होने वाली बैठक में जहां सदस्यों की वारंशिक उपस्थिति के साथ भाग लेना हो, अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए प्रवेशी नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं है। हालांकि, निगमित निष्काय अपने बोर्ड संकल्प अथवा शासी निष्काय संकल्प/ प्राधिकरण इत्यादि को अपने पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से बैठक की तारीख से चार दिन पहले जोकि 27 नवंबर 2020, बुधवार को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) तक संबंधक को agm@cameindia.com पर agm@cameindia.com और investor@jobnet.co.in पर बैंक को प्रति मार्क करते हुए भेज सकते हैं।
- ईजीएम में ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग का समेकित परिणाम बैंक की वेबसाइट, www.job.in पर प्रदर्शित की जाएगी और सीडीएसएल के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों को एजीएम की समाप्ति के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचित की जाएगी।
- वैशे सदस्य जिनमें वीसी के माध्यम से बैठक में सहभागिता व पर्वत के संबंध में तकनीकी सहायता की आवश्यकता है helpdesk.evoting@cdslindia.com या सीडीएसएल पर 022-23058738/022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।

(निदेशक मंडल के आदेशों से)
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
(ए/)

स्थान : चेन्नै - 600 002
दिनांक : 27 अक्टूबर 2020

पार्ष प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी





Indian Overseas Bank
Investor Cell, Central Office, Chennai – 600 002

Newspaper Publication



इण्डियन ओवरसीज बैंक
INDIAN OVERSEAS BANK
CENTRAL OFFICE : 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 57 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Indian Overseas Bank will be held on Thursday, the 3rd December, 2020 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "Regulation Act") and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No. RBI/DBR/2019- 20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.1 dated 3rd September, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 20, 2016 and any amendments made thereunder (hereinafter referred to as "GOI Guidelines") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT one Director be elected from amongst the shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notifications, GOI Guidelines, etc., be and is hereby elected as the Director of the Bank to assume office from 8th December 2020 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption of office as Directors".

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank
(Sd/-)

Partha Pratim Sengupta
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 27th October 2020

NOTES:

- In view of the continuing Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020 and SEBI vide circular No. SEBI/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 permitted companies to hold their Extraordinary General Meetings (EGM) through VC/OAVM for the calendar year 2020 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Extraordinary General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the EGM through VC/OAVM only. The detailed procedure for participating in the Meeting through VC/OAVM is stated in the notice of the EGM. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.
- Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Record Date i.e. on Wednesday, 28th October 2020 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in the Election of Shareholder Directors of the Bank (Election). The voting for Agenda pertaining to Election of Directors shall be conducted by remote e-voting and e-voting at the meeting. Each shareholder shall have one vote for each share held by him / her as on the Record Date to vote on the item stated in the Agenda. However no shareholder other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice have been sent by email to all shareholders whose names appeared in the Register of Shareholders of the Bank in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on Wednesday, 28th October 2020. Copy of the notice is also available on the website of the Bank viz. www.ioib.in and on the website of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
- Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email addresses are not registered are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their Depository Participants.
- Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile number by clicking the link <https://investors.cameoindia.com> (the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No. 1, Club House Road, Chennai - 600 002). Alternatively, the shareholders may send email to register their email address and mobile number by providing the required documents to agm@cameoindia.com.
- Copy of the Notice along with the Nomination Form, Declaration Form and Personal Information, Declaration & Undertaking Form is also available on the website of the Bank viz. www.ioib.in.
- Shareholders desirous of contesting the Election should submit a minimum of 100 valid Nomination Forms along with the Declaration Form as well as other forms and Bio data and other related documents in a sealed envelope to General Manager & CFO, Indian Overseas Bank Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e. on or before 5.00 p.m. on Wednesday, the 18th November 2020.
- If there is only one valid nomination for the vacancy to be filled by the Election, the Shareholder in respect of whom valid nominations are received shall be deemed to have been elected. In such an event the Extraordinary General Meeting will not be conducted / held.
- In terms of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank has appointed Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) to facilitate Remote e-voting and e-voting at the EGM to the shareholders for the agenda to be transacted in the EGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date viz. Wednesday, 28th October, 2020 may cast their vote electronically.
- The details and the manner of casting votes by shareholders holding shares in demat mode, physical mode and for those who have not registered their e-mail are available in the Notice of the EGM.
- Shareholders are required to log on to the e-voting website www.evotingindia.com. In case of any queries, write to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL at 022-23058738 / 022-23058542/43.
- The remote e-voting period commences on Monday, 30th November 2020 at 9.00 a.m. and ends on Wednesday, 2nd December 2020 at 5.00 p.m. and Remote e-voting shall be disabled thereafter by CDSL. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or dematerialised form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The shareholders who have not voted through remote e-voting and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the Meeting.
- Kindly note that once the vote is cast electronically, it cannot be modified or vote cannot be exercised in e-voting at the EGM. However, the shareholder can attend the meeting through VC/OAVM.
- Any person, who acquires shares of the company and becomes member of the company after dispatch of the notice of EGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at agm@cameoindia.com.
- The meeting being held over VC or OAVM where physical attendance of members has been dispensed with, a member entitled to attend and vote at the meeting is not eligible to appoint proxies to attend the meeting instead of him/her. However, Body Corporates can send their Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc. to the Scrutinizer by email through their registered email address to agm@cameoindia.com with copy marked to rsaevoting@gmail.com and to the Bank at investor@ioibnet.co.in not later than four days before the date of the meeting, i.e., on or before 5.00 p.m. (IST) on Friday, November 27, 2020.
- The consolidated results of remote e-voting and e-voting at the EGM shall be placed on the Bank's website: www.ioib.in and informed to Stock Exchanges as well as CDSL.
- Members who require technical assistance to access and participate in the meeting through VC may contact at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL at 022-23058738 / 022-23058542/43.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank
(Sd/-)

Partha Pratim Sengupta
Managing Director & CEO.

Place : Chennai
Date : 27th October 2020

Business Standard

2

CHENNAI | MONDAY, 2 NOVEMBER 2020

